सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

वैशाख 29, मंगलवार, *शाके* 1948- मई 19, 2026
Vaisakha 29, Tuesday, Saka 1948- May 19, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 25, 1985

सं॰ एफ3(5)(1) पर्या./74 :-वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम् 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम् संख्या 53) की उपधारा (1) धारा 18 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार वन्य जीवों के महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद द्‌वारा निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि को अभयारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में गजनेर अभयारण्य के नाम से जाना जावेगा, अर्थात

<u>अनुसूची</u>

उत्तरी सीमा : गजनेर कोलायत राष्ट्रीय मार्ग/15 सड़क, खारी, मोटावता, गंगापुरा, मोडिया मानसर एवं कोडमदेसर ग्राम की सीमा।

पश्चिमी सीमा : गोलरी, इन्दोंका वाला, किशन सिंह ढाणी एवं चाणी गांव की सीमा।

दक्षिणी सीमा : गजनेर कोलायत रेल्वे लाईन, चाण्डासर गांव की सीमा।

पूर्वी सीमा : गजनेर गांव, महल और बाग, गजनेर कोडमदेसर पक्की सड़क।

राज्यपाल की आज्ञा से,

एस॰के॰वर्मा,

उप शासन सचिव।

1841

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

राजस्थान सरकार

पर्यावरण विभाग

सं0 एफ 3{5}{1}पर्या/74 जयपुर, दिनांक :- 25.9.85.

अधिसूचना

वन्य जीव {सुरक्षा} अधिनियम 1972 {1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53} की उपधारा {1} धारा 18 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार वन्य जीवों के महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा, निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि को अभयारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में गजनेर अभयारण्य के नाम से जाना जावेगा, अर्थात्

अनुसूची

उत्तरी सीमा:-	गजनेर कोलायत राष्ट्रीय मार्ग/15 सड़क, बारी, मोटावता गंगापुरा, भोडिया मानसर एवं कोडमदेसर ग्राम की सीमा ।
पश्चिमी सीमा:-	गोलरी, हन्दोका वाला, किशन सिंह ढाणी एवं चाणी गांव की सीमा ।
दक्षिणी सीमा:-	गजनेर कोलायत रेल्वे लाईन, चाण्डासर गांव की सीमा ।
पूर्वी सीमा:-	गजनेर गांव, महल और बाग, गजनेर कोडमदेसर पक्की सड़क ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

{एस0 के0 वर्मा}

उप शासन सचिव ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को:-

1- सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर ।

2- सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर ।

3- समस्त निजी सचिव, मंत्री/ उप मंत्री, राजस्थान जयपुर।

4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।